संख्या 00623/2025-2026 पत्रावली संख्या AG/ALI/0078080 दिनांक 26/05/2025

प्रारूप-8
नियम 7(2) देखिये

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या **ALI/01463/2025-2026**

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **ERA EDUCATION SOCIETY,** **एरा इण्टरनेशनल स्कूल गोंडा रोड इगलास अलीगढ, अलीगढ, 202124** को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।
यह प्रमाण पत्र दिनांक **25/05/2030** तक विधिमान्य होगा ।
आज दिनांक **26/05/2025** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

Digitally Signed By
(BIPUL KUMAR SINGH)
AB852F4B2AB607C029A4BE3064963B4AE17DFB22
Date: 26/05/2025 5:54:58 PM, Location: Agra.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या 00623/2025-2026 पत्रावली संख्या AG/ALI/0078080 दिनांक 26/05/2025

प्रारूप-8
नियम 7(2) देखिये

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या **ALI/01463/2025-2026**

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **ERA EDUCATION SOCIETY, एरा इण्टरनेशनल स्कूल गोंडा रोड इगलास अलीगढ, अलीगढ, 202124** को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।
यह प्रमाण पत्र दिनांक **25/05/2030** तक विधिमान्य होगा ।
आज दिनांक **26/05/2025** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

Digitally Signed By
(BIPUL KUMAR SINGH)
AB852F4B2AB607C029A4BE3064963B4AE17DFB22
Date: 26/05/2025 5:54:58 PM, Location: Agra.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP59761827494195X

e-Stamp

Sandeep Kushwah
Stamp Vendor
Licence No. 275
Stamp ACC ID:- UP-14794904
Kailashpuri, Agra

Certificate No.	:	IN-UP59761827494195X
Certificate Issued Date	:	27-May-2025 03:23 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14794904/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14794904170120931828 94X
Purchased by	:	ERA EDUCATION SOCIETY ALIGARH
Description of Document	:	Article 19 Certificate or other Document
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ERA EDUCATION SOCIETY ALIGARH
Second Party	:	UPRFSC
Stamp Duty Paid By	:	ERA EDUCATION SOCIETY ALIGARH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाम्प पेपर इरा 2 जून के 21वें सोसाइटी

जिला अलीगढ़ फाइल नं0 ALI-e-78080

के साथ संलग्न है।

वरिष्ठ सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिटस
आगरा क्षेत्र, आगरा
04/06/25

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP59764679851403X

e-Stamp

Sandeep Kushwah
Stamp Vendor
Licence No. 275
Stamp ACC ID:- UP-14794904
Kailashpuri, Agra

Certificate No.	:	IN-UP59764679851403X
Certificate Issued Date	:	27-May-2025 03:24 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14794904/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14794904170180017567 61X
Purchased by	:	ERA EDUCATION SOCIETY ALIGARH
Description of Document	:	Article 19 Certificate or other Document
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ERA EDUCATION SOCIETY ALIGARH
Second Party	:	UPRFSC
Stamp Duty Paid By	:	ERA EDUCATION SOCIETY ALIGARH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाम्प पेपर 121 2 अनेक्षत
आगरा
जिला आगरा फाइल नं0 ALI-78080
विपना सती के साथ संलग्न है।

परिष्ठ सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :	**ERA EDUCATION SOCIETY**
संस्था का पता / Society's Address :	एरा इण्टरनेशनल स्कूल गॉडा रोड इगलास अलीगढ,Aligarh,202124
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :	उत्तर प्रदेश
संपर्क संख्या / Contact Number :	8630642540

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(ये उद्देश्य
शिक्षा के लिये ,
से सम्बंधित है)

1– शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह–जगह विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र–छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, चारित्रिक, विकास करना ।

2– शिक्षा विकास हेतु प्ले ग्रुप, प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल, कालेज, डिग्री कालेज, पी०जी०कालेज की स्थापना करना तथा दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी, व्यवसायिक, औद्योगिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों, लॉ कालेज, मेडिकल एवं पैरामेडिकल, नर्सिंग व फार्मेसी कालेज आदि की स्थापना करना व उनका प्रबन्धन करना।

3- शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठ्यक्रमों पर आधारित शिक्षा संस्थानों की स्थापना विभिन्न विश्व विद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना सी.बी.एस.ई./ आई.सी.एस.ई./ एन.सी.आर.टी./ यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त कर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर उनका प्रबंधन करना ।

4– केन्द्रीय एवं राज्य सकरार निगम बोर्ड सम्बंधित विभागों के वित्तीय सहयोग से युवक–युवतियों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्किल डवलपमेन्ट कार्यक्रम जैसे सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, दस्तकारी, पेंटिग, ब्यूटीशियन, टंकण, आशुलिपि, संगीत, कम्प्यूटरहार्डवेयर साफ्टवेयर प्रोगाम डपलपमेन्ट, इलैक्ट्रिक, इलैक्ट्रानिक उपकरणों की मरम्मत फैशन डिजाइनिंग, मोबाइल लैपटॉप मरम्मत, टैक्सटाइल डिजायनिंग, पच्चीकारी आदि का शिक्षण प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वायलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना ।

5- संस्था के नाम से व अन्य नामों से कार्यक्षेत्र में जगह–जगह विद्यालय स्कूल, कालेजों इन्स्टीट्यूशन, आई०टी०आई० कालेज, कौशल विकास केन्द्रों आदि की स्थापना करना व उनका विधिवत प्रबन्ध संचालन करना ।

6– देश विदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से वित्तीय अनुदान ऋण सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याण कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना।

7- स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य टीकाकरण, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, स्किल इण्डिया, डिजिटल इण्डिया आदि कार्यक्रमों में सरकार का सहयोग करना तथा चलाई जा रही योजनाओं को जनसामान्य तक पहुँचाना व उनके बारे में जागरूक करना ।

8-निर्धन एंव कमजोर बच्चों को आत्मनिर्भर एंव रोजगार हेतु विषय विशेषज्ञों के माध्यम से अतिरिक्त प्रशिक्षण देकर उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एंव स्वरोजगार के लिए तैयार करना ।

9-यह कि राज्य/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थापी बोर्डो विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पाठयक्रमों/उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्रों को न प्रदान किया जायेगा और न ही ऐसे पाठयक्रम बिना राज्य/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेगें ।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम , पता, पद एवम व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है / Details of officie bearer and members of Management Committee :

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	श्री रविन्द्र चौधरी	श्री रामवीर सिंह	म०न०-248 भवनपुरा पो० अरिंग मथुरा	अध्यक्ष	नौकरी	8218796987		
2.	श्रीमती कीर्ति चौधरी	श्री नरेन्द्र सिंह चौधरी	बिरला फार्म हरिपुर कलां देहरादून उत्तराखण्ड	उपाध्यक्ष	समाजसेवा	8077758979		
3.	श्री एलम सिंह	श्री निरोत्तम सिंह	गढी आशिया सौंख मथुरा	प्रबन्धक/सचिव	व्यापार	8630642540		

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उप निबंधक सहकारी समितियां एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

Permanent

04.06.20

4.	श्रीमती ममता सिंह	श्री एलम सिंह	गढी आशिया नैनु पट्टी सौंख मथुरा	उपप्रबन्धक/उपसचिव	अध्यापन	7895882337		
5.	श्री धीरज कुमार	श्री निरोतम सिंह	गढी आशिया नैनूपट्टी मथुरा	कोषाध्यक्ष	व्यापार	9920364063		
6.	श्री राजेश कुमार	श्री रामवीर सिंह	विल भावन पुरा पो० अडींग मथुरा	सदस्य	समाजसेवा	8931909145		
7.	श्री अजय सिंह	श्री देव करन सिंह	नगला हट्टी मलपुरा आगरा	सदस्य	समाजसेवा	8258092890		
8.	श्री हेमन्त कुमार	श्री रामजीत	गढी आशिया नैनुपट्टी सौंख मथुरा	सदस्य	समाजसेवा	8755381728		
9.	श्री प्रशान्त रावत	श्री चंद्रपाल सिंह	गढी आशिया नैनू पट्टी सौंख मथुरा	सदस्य	समाजसेवा	7830012327		

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / List of all Entered Genral Body members' details

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	श्री रविन्द्र चौधरी	श्री रामवीर सिंह	म०न०-248 भवनपुरा पो० अरिंग मथुरा	नौकरी
2.	श्रीमती कीर्ति चौधरी	श्री नरेन्द्र सिंह चौधरी	बिरला फार्म हरिपुर कलां देहरादून उत्तराखण्ड	समाजसेवा
3.	श्री एलम सिंह	श्री निरोतम सिंह	गढी आशिया सौंख मथुरा	व्यापार
4.	श्रीमती ममता सिंह	श्री एलम सिंह	गढी आशिया नैनु पट्टी सौंख मथुरा	अध्यापन
5.	श्री धीरज कुमार	श्री निरोतम सिंह	गढी आशिया नैनूपट्टी मथुरा	व्यापार
6.	श्री राजेश कुमार	श्री रामवीर सिंह	विल भावन पुरा पो० अडींग मथुरा	समाजसेवा
7.	श्री अजय सिंह	श्री देव करन सिंह	नगला हट्टी मलपुरा आगरा	समाजसेवा
8.	श्री हेमन्त कुमार	श्री रामजीत	गढी आशिया नैनुपट्टी सौंख मथुरा	समाजसेवा
9.	श्री प्रशान्त रावत	श्री चंद्रपाल सिंह	गढ़ी आशिया नैनू पट्टी सौंख मथुरा	समाजसेवा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।
दिनॉक / Date :-24/05/2025
हस्ताक्षर / Signature :

सत्य प्रतिलिपि

सहायक

Hemant

नियमावली / Rules Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :	**ERA EDUCATION SOCIETY**
संस्था का पता / Society's Address :	एरा इण्टरनेशनल स्कूल गौंडा रोड इगलास अलीगढ,Aligarh,202124
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :	उत्तर प्रदेश
संपर्क संख्या / Contact Number :	8630642540

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class :

सदस्यता का प्रकार / Membership Type	शुल्क / Fee	सदस्य बनाने की प्रक्रिया / Procedure of making Members
आजीवन सदस्य / Life Time Member	1100	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपति चल या अचल रूप में देंगे वे संस्था के आजीवन संदस्य होंगे
विशेष सदस्य / Special Member	0	संस्था, विशिष्ट सदस्यों को उनके सामाजिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर चयनित करती है उनके लिए सदस्यता शुल्क का निर्धारण कार्यकारिणी करेगी
संरक्षक सदस्य / Patron Member	2100	संस्था के संस्थापक ही संरक्षक सदस्य कहलाते हैं संस्था स्थापना के लिया इनके द्वारा संस्था के कोष में दी गयी चल या अचल सम्पति ही इनका सदस्यता शुल्क होगा
सामान्य सदस्य / General Member	500	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership :

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
7. नैतिक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

संस्था के अंग / Society's Parts :

1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति/ Management Committee

साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation :	साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, विशेष सदस्य / Special Member, संरक्षक सदस्य / Patron Member, सामान्य सदस्य / General Member को मिलाकर किया जायेगा।
बैठकें / Meetings :	साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैटक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।
सूचना अवधि / Notice period :	साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी।
गणपूर्ति / Quorum :	साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।
विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General Meeting Date :	संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के २/३ बहुमत से तय की जायेगी।
साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Duties of the General Body :	१-संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय-समय पर निर्वाचन सम्पन्न कराना। २-नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन २/३ बहुमत से करना। ३-वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना।

प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee :

गठन / Formation :	साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपप्रबन्धक/उपसचिव-1, उपाध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, प्रबन्धक/सचिव-1, सदस्य-4 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 9 होगी।
सूचना अवधि / Notice period :	प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी

सत्य प्रतिलिपि

Hemant

बैठके / Meetings :	प्रबन्धसकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा ।
गणपूर्ति / Quorum :	प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।
प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :	१- संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना । २- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन २/३ से करना। ३-वार्षिक बजट व वाषिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना । ४- संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/ मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों निकायों नागरिकों बैंकों आदि से दान अनुदान चंदा एवं ऋण प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना । ५- संस्था के विकास हेतु उपईकाइयों एवं उपसमतियों का गठन करना दोष पूर्ण कार्य करने पर उन्हें भंग कर नवीन इकाईयों का गठन करना । ६- संस्था द्वारा संचालित विद्यालय के विकासार्थ संस्था की ओर से ऋण प्राप्त करने हेतु संस्था की समस्त अचल चल संपतियों को बंधक/गिरवी रखने एवं ऋण हेतु समस्त कार्यवाही करने का अधिकार प्रबन्धक/सचिव को होगा । प्रतिबन्ध- 1-विद्यातलय की पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा । 2-विद्यातलय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा 3-विद्यातलय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा । 4-संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/ काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी । 5-संस्था के शिक्षण शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भते नही दिये जायेगें । 6-कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानियृत लाभ उपलब्ध कराये जायेगे । 7-राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी । 8-विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी । 9-विद्यालय का रिकॉर्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जाएगा 10-उपर्युक्त क्रम 1 से 9 में कोई परिवर्तन /संशोधन बिना शासन एंव विभाग की अनुमति के नही दिया जायेगा। 11-उपर्युक्त क्रम 1 से 8 तक के प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाइलॉज में सम्मलित करना अनिवार्य होगा ।
रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats :	प्रबंधकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी ।
कार्यकाल / Tenure :	प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 05 साल का होगा ।
प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया/ Election Procedure of Management Committee by General Body :	प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन कार्यकाल की समाप्ति पर सर्वसम्मति से या गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा कराया जायेगा । संस्थापक सदस्य ही निर्वाचन में भाग लेगें । यदि किसी कारणवश प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन नही हो पाया हो तो नयी कार्यकारिणी के चुने जाने तक माना जायेगा ।प्रबन्धकारिणी की संख्या कभी भी आवश्यकतानुसार घटाई या बढाई जा सकती है।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

अध्यक्ष

1. १-संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना । २-किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना । ३-संस्था की कार्यकारिणी व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना । ४-संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एंव विकास में सहायक हो करना ।

उपाध्यक्ष

2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यो को करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

प्रबन्धक/सचिव

3. १-संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना मीटिंग कार्यवाही लिखना । २-मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों को देना मीटिंग स्थगित करना ।३-संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ४-संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एंव अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना । ५-संस्था के अन्तर्गत संचालित विद्यालय व अन्य धर्मार्थ संस्थानों आदि में कार्यरत कर्मचारियों कार्यकर्ताओं सेवको की नियुक्ति निस्कासन एंव पदच्युत करना उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भते तय करना व उसका भुगतान जैसे समस्त कार्य करना । ६-संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों ऋण अनुदान पत्रों चैकों ड्राफ्टों बन्धक बिलेखों बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना । ७-कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत के लिए भेजना । ८-संस्था की अचल चल सम्पित की सुरक्षा करना दान अनुदान चन्दा व सदस्यता शुल्क प्राप्त कर सदस्य बनाना प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना । ९-संस्था के आजीवन व सामान्य सदस्यों द्वारा किसी प्रकार की अनियमिता व संस्था विरोधी कार्य करने पर छः वर्ष के लिए संस्था से निल्मबित करना जिसकी पुष्टि एक माह के अन्दर प्रबन्धसमिति की बैठक में 2/3 बहुमत से कराना ।

सत्य प्रतिलिपि

परिषद निदेशक सहायक
कार्यालय उप निबंधक फर्म, सोसाइटीज एवं चिट्स
आवास बोर्ड, उन्नाव 04/06/12

उपप्रबन्धक/उपसचिव

कोषाध्यक्ष

सदस्य

4. प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौपे गये कार्य करना एंव सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना ।
5. १-संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना एंव समस्त आय व्यय वही पत्रों को तैयार करना । २-संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एंव दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना । ३-अध्यक्ष एंव प्रबन्धक/सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व बिल बाउचर्स का भुगतान करना ।
6. संस्था की उन्नति एंव विकास हेतु कार्य करना अध्यक्ष/प्रबन्धक/सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यो को सम्पन्न कराना ।

संस्था का कोष / Society's Account Access Details:

	पदाधिकारी/Post
1.	अध्यक्ष
2.	प्रबन्धक/सचिव

आय के स्रोत / Source of Income

1. Government Donation
2. Government Loan
3. Maintenance amount
4. Membership Fee
5. Other Sources
6. Remittance
7. Self Money Generation

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया / Society's Rules and Regulations Revision Process :

साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

संस्था का कोष/ Society's Account Details:

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शिड्यूल्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस,या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा , जिसका संचालन अध्यक्ष एवम प्रबन्धक/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा ।

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व। / Responsibility for court operations of the society by or against :

संस्था द्वारा होने वालजी समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण(ऑडिट) / Budget Audit :

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेग / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख / Society's records :

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register.
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
 a) साधारण सभा / Genearal Body.
 b) कार्यकारी निकाय / Executive Body.
3. स्टाक रजिस्टर / Stock Register.
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. कैश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रसीद बुक / Donate receipt book.

विघटन / Dissolution :

संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट की धरा १३ व १४ के अंतर्गत की जाएगी / Society dissociation and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

दिनाँक / Date :- 24/05/2025

हस्ताक्षर / Signature :

सत्य प्रतिलिपि

Hemant